



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-22042020-219097
CG-DL-W-22042020-219097

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 12] नई दिल्ली, मार्च 22—मार्च 28, 2020, शनिवार / चैत्र 2—चैत्र 8, 1942
No. 12] NEW DELHI, MARCH 22—MARCH 28, 2020, SATURDAY/CHAITRA 2—CHAITRA 8, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2020

सा.का.नि. 75.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सफदरजंग अस्पताल समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 1982 को, जहां तक उनका संबंध ऑपरेशन थियेटर परिचर के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में ऑपरेशन थियेटर परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

	3. Deputy Director looking after the work of Safdarjang Hospital in Directorate General of Health Services	
--	--	--

[F. No. A.11018/51/2019-MH-II]

G.P. SAMANTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2020

सा.का.नि.76.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (प्रशासन अधिकारी) और सहायक निदेशक (जीव रसायन) भर्ती नियम, 1978 को, जहां तक कि उनका संबन्ध प्रशासन अधिकारी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टूर, तमिलनाडु में प्रशासन अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टूर, तमिलनाडु, प्रशासन अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रशासन अधिकारी ।	01 (एक)* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.)	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं टिप्पण 1: केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान की डिग्री। 2. किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वाशासी निकाय या कानूनी निकाय में पर्यवेक्षण क्षमता में प्रशासन और स्थापन कार्य में तीन वर्ष का अनुभव। वांछनीय: किसी सरकारी कार्यालय या	लागू नहीं होता	एक वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

<p>पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वाशासी निकाय या कानूनी निकाय में पर्यवेक्षण क्षमता में लेखा मामलों के लेनदेन में अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हता, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>			
--	--	--	--

<p>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>
(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):</p> <p>केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्रों, स्वाशासी या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क)(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100) और वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 (53100-167800रु) में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और विहित किए गए अनुभव रखता हो।</p> <p>टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर</p>	<p>समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे.—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उपमहानिदेशक (स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय) —अध्यक्ष; 2. निदेशक (प्रशासन और सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय —सदस्य; 3. निदेशक (केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान) —सदस्य 	<p>प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
---	--	--

[फा.सं. ए-12018/2/2008-कुछ]

बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव

New Delhi, the 17th March, 2020

G.S.R. 76.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, (Administrative Officer) and Assistant Director (Biochemistry) Recruitment Rules, 1978 insofar as they relate to the post of Administrative Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer in the Central Leprosy Training and Research Institute, Chengalpattu, Tamilnadu, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Training and Research Institute, Chengalpattu, Tamilnadu, Administrative Officer (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any Other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time-to-time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age- limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Administrative Officer	1(One)* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'A' Gazetted, Ministerial	Level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500)	Not applicable	Not exceeding thirty-five years. Note 1: Relaxable for Government Servants up to five years' in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from the candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, the Union Territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(1) Degree of a recognised University or Institute.</p> <p>(2) Three years experience in administration and establishment works in supervisory capacity in Government office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body.</p> <p>Desirable:</p> <p>Experience in dealing with accounts matters in supervisory capacity in Government office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public</p>	Not applicable	One year	By deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.

Service Commission, for reason to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			
--	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a department promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government, State Government, Union Territories, autonomous or statutory organisations, public sector undertakings, Universities or recognised research institutes:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department</p> <p>or</p> <p>(ii) with two years' regular service in level-9 in the pay matrix (Rs.53100-167800) and level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100); and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7).</p> <p>Note 1: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deputy Director General (Directorate General of Health Services) - Chairman; 2. Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services – Member; 3. Director (Central Leprosy Training and Research Institute) - Member. 	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.</p>

[F. No. A-12018/2/2008-Lep.]

BAIDYANATH PRASAD, Under Secy.